

मण्डल सैम, मण्डल कार्यालय, झाँसी

झलकारी बाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कानपुर रोड, झाँसी उ.प्र. - 284001, फोन नं. : 0510- 2321461, ईमेल: cs8252@pnb.bank.in.

नीलामी सन्दर्भ सं.: ई-नीलामी / baanknet / 2026-27 / तिमाही -02 / स. 01

दिनांक 15.07.2026

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6)) अंतर्गत बैंक के द्वारा बंधक बनाई गई चल / अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-विक्रय नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित चूककर्ताओं ने पंजाब नैशनल बैंक से ऋण लिया था तथा इस ऋण की राशि चुकाने में विफल रहे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी और उसके बाद बंधक सम्पत्तियों का रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, और नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उस तारीख को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", " ", और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, जो बैंक / प्रतिभूति लेनदार के कारण, अपने बकायों की वसूली के लिए (सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत विक्री का निर्णय लिया है।) आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध विवरण का नीचे दी गई तालिका के अनुरूप होगी।

विक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम खाता का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम(बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ब)एनपीए तिथि को देय बकाया राशि स)सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि द)कब्जा का प्रसार-रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य (लाख में) ब)अग्रिम राशि जमा (ईएमडी)/राशि जमा करने की समय सीमा स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1	शाखा -झाँसी शिवाजी नगर (ई-ओबीसी) उधारकर्ता-श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा पुत्र श्री धनी धनी राम कुशवाहा।	सांथिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित 1848, दरोगा का बाग, (पूथीरिया) दत्तिया गेट के बाहर, झाँसी (उ.प्र.) क्षेत्र. 84.35 वर्गफीट (सम्पत्ति मालिक/ बंधककर्ता-श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा पुत्र श्री धनी राम कुशवाहा)। चौहददी-उत्तर-ओमीसेन का मकान, दक्षिण-श्री अशोक वर्मा का मकान, पूर्व-श्री अरविन्द कुमार के मकान का भाग, पश्चिम-12फीट रोड।	अ) 05.01.2019 ब) रु. 11,28,259/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 17.08.2021 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 32.00लाख ब) रु. 3.20 लाख स)रु. 0.10 लाख	04.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
2	शाखा-बरुआ सागर, झाँसी उधारकर्ता-श्री अनुभव चतुर्वेदी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी।	आवासीय मकान क्षेत्र. 139.40 वर्गमी. स्थित आराजी नं. 4242, मौजा फुटेरा, मोहल्ला कटरा, बरुआ सागर, तहसील एवं जिला झाँसी(उ.प्र.) जोकि विक्रय अमिलेख दिनांक 06.05.2017 को बही नं. 1 जिल्द नं. 6977 पृष्ठ नं. 285 से 310 क्रम सं 1971 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति मालिक/ बंधककर्ता श्री अनुभव चतुर्वेदी पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार चौहददी - उत्तर-रास्ता 5.79 मी., दक्षिण-विक्रेता का प्लाट, पूर्व-विक्रेता का प्लाट पश्चिम-राहुल का प्लाट।	अ) 02.06.2021 ब) रु. 28,17,943.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 21.08.2021 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 12.58लाख ब) रु. 1.26लाख स)रु. 0.10 लाख	04.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
3	शाखा-झाँसी उधारकर्ता- मेसर्स कुष्णा एमीकल्स इंडस्ट्रीज जमानतकर्ता- श्रीमती कांति देवी पत्नी तरसेम लाल	सांथिक बंधक खुली भूमि स्थित लहरगिर्द तहसील-ब्रमनगर जिला-झाँसी क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट (83.64 वर्ग मीटर) भूमि संख्या 1755 का भाग जोकि श्रीमती कांति देवी के नाम है। (डीड संख्या 3927 दिनांक 31.07.2012) चौहददी- पूर्व-रास्ता 15 फीट, पश्चिम-पंडित जी का प्लांट, उत्तर-सरदार जी का प्लांट, दक्षिण-रास्ता 10 फीट	अ) 03/04/2018 ब) रु. 10,38,597/- +ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 05/10/2018 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 9.00लाख ब) रु. 0.90लाख स)रु. 0.10 लाख	04.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
4	शाखा- रेवन उधारकर्ता-श्री जाफिर पुत्र श्री कमर	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल अचल आवासीय मकान सम्पत्ति खम खपरैल नंबर 416 / 4 स्थित मोहल्ला- गोपालगंज, परगना-मऊरानीपुर, जिला- झाँसी। क्षेत्रफल 67.19 वर्ग मीटर (723 वर्ग फुट) जोकि श्री जाफिर पुत्र श्री कमर के नाम पर है। डीड के अनुसार चौहददी :-पूर्व: क्रेता का मकान, पश्चिम: खलील का मकान, उत्तर: हलीम का मकान, दक्षिण: 4 फुट चौड़ा रास्ता।	अ) 29.09.2025 ब) रु. 5,94,337.98 +ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 01.09.2025 से प्रभावी स) 23.12.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 5.00 लाख ब) रु. 0.50 लाख स)रु. 0.10 लाख	24.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
5	शाखा-सिविल लाइन्स झाँसी उधारकर्ता-मनीष शर्मा पुत्र बिंद्रावन शर्मा, कमलेश कुमार पुत्र बिंद्रावन शर्मा और जमानतकर्ता- श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बिंद्रावन शर्मा।	सभी भाग एवं हिस्सों सहित दो मंजिला मकान सम्पत्ति स्थित आवासीय मकान संख्या 480, वार्ड संख्या 27, निकट आरडी मेमोरियल स्कूल, हीरापुर, स्थित मौजा गढ़िया, झाँसी तहसील एवं जिला झाँसी, उत्तर प्रदेश जोकि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री बिंद्रावन शर्मा के नाम पर है। माप क्षेत्र 1000 वर्ग फुट। चौहददी: पूर्व-15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम-श्रीमती सुनीता, का मकान, उत्तर-गली 5 फीट चौड़ी, दक्षिण-श्री हजारी प्रसाद का मकान।	अ) 07.02.2023 ब) रु. 10,59,399.87 +ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 31.01.2023 से प्रभावी स) 19.08.2023 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 30.00 लाख ब) रु. 3.00 लाख स)रु. 0.10 लाख	24.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
6	शाखा- बिजौली, झाँसी) उधारकर्ता श्री होती सिंह यादव पुत्र श्री कामता प्रसाद एवं सहाय उधारकर्ता-श्रीमती मालती पत्नी श्री होती सिंह यादव	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय मकान संख्या सी-80, स्थित ग्रोथ सेंटर बिजौली, झाँसी, जिला- झाँसी, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल-200 वर्ग मीटर मालिक/बंधककर्ता/ पट्टेदार-श्री होती सिंह पुत्र श्री कामता प्रसाद। पट्टा विलेख के अनुसार चौहददी: पूर्व: प्लाट सं. सी-81, पश्चिम:प्लाट सं. सी-79, उत्तर: 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: प्लाट सं. सी-43	अ) 06.08.2025 ब) रु. 47,91,982.29 +ब्याज दि. 31.08.2024 से प्रभावी एवं अन्य खर्चें स) 19.11.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 51.00 लाख ब) रु. 5.10 लाख स)रु. 0.10 लाख	24.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
7	शाखा- मऊरानीपुर, जिला - झाँसी उधारकर्ता-श्रीमती विनोद कुमारी यादव और सहाय उधारकर्ता श्री नीरेन्द्र सिंह यादव	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय प्लाट (अब उस पर निर्मित मकान) संपत्ति स्थित मऊ देहात, हीरो एजेंसी के पीछे, मऊ-झाँसी रोड, मऊरानीपुर, भूमि संख्या 3931. क्षेत्रफल 188.66 वर्गमीटर (2030 वर्गफीट) जोकि श्रीमती विनोद कुमारी यादव पत्नी नीरेन्द्र सिंह यादव के नाम पर है। चौहददी (विक्री विलेख के अनुसार): पूर्व-चिरंजीवाल कुशवाहा का मकान पश्चिम-रास्ता, उत्तर-गौरव कुमार का प्लाट, दक्षिण-विक्रेता का प्लाट।	अ) 14.02.2025 ब) रु. 32,93,399.66 +ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 01.02.2025 से प्रभावी स) 8.04.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 50.00लाख ब) रु. 5.0 लाख स)रु. 0.10 लाख	24.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें - 1. विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम में वर्णित नियम एवं शर्तों एवं निम्न अन्य शर्तों के अनुसार होगा। 2. संपत्तियाँ "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय की जा रही हैं। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. यह विक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर 11.00 AM से 04.00 PM तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। 5. विस्तृत अवधि और विक्री की शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> देखें 6. सर्विस प्रदाता का हेल्प डेस्क नम्बर +918291220220 अथवा मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय: झाँसी मो. 9470591961 ई-मेल cs8252@pnb.bank.in है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारे वेबसाइट पर विजिट कर अथवा नोडल अधिकारी मुख्य प्रबंधक से मो. 9470591961 पर संपर्क करें। कृपया नोट करें: 1.प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण- कोई अधिभार ज्ञात नही।
*सम्पत्ति का विक्रय सांकेतिक कब्जा जो "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। भौतिक कब्जा ऋणी/प्रशासन द्वारा देने पर प्राप्त होगा।
2. यह नोटिस उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं को विक्री नोटिस भी है।

विक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक: : 15.07.2026

स्थान: झाँसी

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय झाँसी